अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री राकेश अरोडा श्री भीयाराम चौधरी 01से 04	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	भैरू मृतक हरकरण बनाम मनफूली वगैरह (2023/191)	
16.05.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 09.06.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
09.06.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 16.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा राजस्व वाद बाबत बेदखली, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था जिसे दिनांक 19.12.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये थे। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र में नियमित रूप से तारीख पेशी दी जाती रही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से दिनांक 26.03.2014 द्वारा जवाबदावा भी प्रस्तुत किया जा चुका था। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 05 व 06 की तलबी हेतु नियत था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2018 को प्रकरण कैम्पकोर्ट ममाणा में नियत किया गया, जिसे वादी/ अभिभाषक वादी अनुपस्थित रहने के कारण वादपत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन किया वादी भैरू पुत्र जोरिया को एवं प्रतिवादी संख्या मनफूली पत्नि पोलूराम को जारी नोटिस नाथू नाम के व्यक्ति को तामिल करवाया गया है जो प्रकरण में पक्षकार ही नही है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 दोनो का नोटिस एक व्यक्ति द्वारा लिया जाना स्पष्ट है। अतः यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्पकोर्ट में पत्रावली नियत करने से पूर्व वादी को समुचित सूचना नहीं दी गई है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्वकिल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करना उचित समझते हैं। **अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 461/2012 में**	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

	पारित आदेश दिनांक 01.05.2018, को निरस्त किया जाता हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि प्रस्तुत प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलांट/ वादी को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत निस्तारण करें। निर्णय एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Scanned with CamScanner